संख्या- 31/2024/830/तीस-1-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 30 सितम्बर, 2024

विषय- जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-894बी/डीए/प0/24, दिनांक 10.07.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 09/2020/22/तीस-1-2020-आर-1996/2018, दिनांक 02.03.2020 द्वारा जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत धनराशि रू0 689.25 लाख(जीएसटी सहित) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 344.62 लाख, शासनादेश संख्या-13/2022/922/तीस-1-2021- आर-1996/2018 दिनांक 28.03.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख, शासनादेश संख्या-02/2023/608/तीस-1-2022-आर-1996/2018 दिनांक 02.02.2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-14/2024/2632/तीस-1-2023, दिनांक 14.03.2024 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 72.315 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 616.935 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र दिनांक 10.07.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रू0 689.25 लाख(जीएसटी सहित) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंचम एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 72.315 लाख (रू0 बहत्तर लाख इक्तीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।
(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11)निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(12)उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(13)अन्य शर्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-09/2020/22/तीस-1-2020-आर-1996/2018, दिनांक 02.03.2020, शासनादेश संख्या-13/2022/922/तीस-1-2021-आर-1996/2018 दिनांक 28.03.2022, शासनादेश संख्या-02/2023/608/तीस-1-2022-आर-1996/2018 दिनांक 02.02.2023 एवं शासनादेश संख्या-14/2024/2632/तीस-1-2023, दिनांक 14.03.2024 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या–E-9-120-X-2024-25- दिनांक: 17-9-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 31/2024/ 830(1) /तीस-1-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।